

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1254

जिसका उत्तर 09 फरवरी, 2023 को दिया जाना है।

जल विद्युत अवसंरचना परियोजनाएं

1254. श्री जय प्रकाश:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि जोशीमठ के निवासियों ने एनटीपीसी तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत अवसंरचना परियोजना को भूमि धंसने के लिए जिम्मेदार ठहराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार ने प्रभावित व्यक्तियों द्वारा व्यक्त की गई आशंकाओं को दूर करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है; और
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : जोशीमठ में भूमि धंसने का मामला काफी पुराना है। इसे काफी पहले वर्ष 1976 में महसूस किया गया था। इस पर तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ध्यान दिया गया था और उन्होंने जोशीमठ में भूमि की अस्थिरता के कारणों की जांच करने के लिए श्री एम.सी. मिश्रा, आयुक्त, गढ़वाल की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति ने पाया कि जोशीमठ मूल चट्टानों पर स्थित नहीं है। यह पतली अभ्रकीय रेतीली तथा मिट्टी की सामग्री के अव्यवस्थित मैट्रिक्स में बड़े अस्थिर बोल्डरों के ऋतुक्षरित, भू-स्खलन निर्मित ढेर पर स्थित है। ये चट्टानें क्रिस्टलीय हैं जो परतदार शैलीय एवं क्वार्ट्ज पत्थर की हैं। धंसने/दरारों का संभावित कारण पहाड़ बहना, बहने का स्वाभाविक कोण, रिसाव तथा मिट्टी के कटाव के कारण खेती संबंधी क्षेत्र हो सकता है। समिति ने रिसाव से बचने के लिए खुले नाले के पानी को रोकने, सोखने वाले गड्ढों को बंद करने और सीवरेज प्रवाह के लिए कंक्रीट सीवेज लाइन के निर्माण की सिफारिश की।

4x130 मेगावाट तपोवन विष्णुगाड एचईपी का निर्माण कार्य वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज (वैपकोस), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), नेशनल कॉसिल ऑफ सिस्मिक डिजाइन पैरामीटर (एनसीएसडीपी) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानिक निकायों/एजेंसियों के माध्यम से पर्यावरणीय प्रभाव के लिए विस्तृत अध्ययनों, भूवैज्ञानिक अध्ययनों, जल वैज्ञानिक अध्ययनों भूकंपीय अध्ययनों के पश्चात तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की सहमति से नवंबर, 2006 में शुरू हुआ। परियोजना का वास्तविक निर्माण वर्ष 2005 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) से पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) प्राप्त करने के बाद ही आरंभ हुआ।

जोशीमठ नगर में निरंतर धंसाव होने के कारण, जिला अधिकारी (चमोली) द्वारा उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए), वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद- केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-सीबीआरआई), आईआईटी रुड़की, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) तथा वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी (डब्ल्यूआईएचजी) के विशेषज्ञों को शामिल करते हुए अगस्त, 2022 में एक समिति का गठन किया गया था। समिति की रिपोर्ट में जोशीमठ में एनटीपीसी तपोवन विष्णुगाड जल विद्युत परियोजना के कारण भूमि धंसने का कोई उल्लेख नहीं है।
